

डिक्की मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाका दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी-टोंक लोक अदालत केम्प-अरनियामाल

उनवान

1. हरिराम पुत्र श्योजीलाल नाबालिग जरिये सरपरस्ती एवं प्राकृतिक संरक्षका माता गीता पत्नि श्योजीलाल जाति जाट निवासी मोहम्मद नगर तहसील व जिला-टोंक

वादीगण-प्रार्थीगण

बनाम

- श्योजीलाल पुत्र लादूलाल जाति जाट निवासी मोहम्मदनगर तहसील व जिला-टोंक
- राजाराम पुत्र लादूलाल जाति जाट निवासी मोहम्मदनगर तहसील व जिला-टोंक
- सोराज पुत्र लादूलाल जाति जाट निवासी मोहम्मदनगर तहसील व जिला-टोंक
- मुकेश पुत्र लादूलाल जाति जाट निवासी मोहम्मदनगर तहसील व जिला-टोंक
- सोहनी पुत्री लादूलाल जाति जाट निवासी मोहम्मदनगर तहसील व जिला-टोंक
- कान्ता पुत्री लादूलाल जाति जाट निवासी मोहम्मदनगर तहसील व जिला-टोंक
- नन्दू पत्नि लादूलाल जाति जाट निवासी मोहम्मदनगर तहसील व जिला-टोंक
- मदन पुत्र सुखलाल जाति जाट निवासी मोहम्मदनगर तहसील व जिला-टोंक
- रमेशी पुत्री सुखलाल जाति जाट निवासी मोहम्मदनगर तहसील व जिला-टोंक
- केली पत्नि सुखलाल जाति जाट निवासी मोहम्मदनगर तहसील व जिला-टोंक
- तहसीलदार, टोंक

अप्रार्थीगण-प्रतिपक्षीगण

मुकदमा नम्बर- 243/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसालकतई रुबरु डॉ० सूरज सिंह नेगी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी टोंक व हाजरी वादीगण एवं मिनजामिनमुददई रुबरु प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददायल हमे हुकम दिया जाता है कि :-

नोशनल शेयर के अनुसार प्रतिवादी सं.-1 श्योजीलाल पुत्र लादुलाल के हिस्से की भूमि में उसके साथ-साथ उसके वारिसान पुत्र हरिराम ना०बा० जरिये संरक्षक माता, पुत्री सुशीला एवं पत्नि गीता को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार टोंक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत-2071-74 वाके ग्राम मोहम्मद नगर पटवार हल्का-अरनियामाल के खाता संख्या-65 में स्थित भूमि कुल किता-17 कुल रकबा 71 बीघा 08 बिस्वा में उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-1 का हिस्सा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करें

निजी मुकलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह फीसदी सालाना आज तारिख वसूलियत तक अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 22 मई, 2017 को जारी की गई।

(डॉ० सूरज सिंह नेगी)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मुददई	रूपये	पैसे	मुददई	रूपये	पैसे
स्टाम्पअर्जीदावा	00	00	स्टाम्पअर्जीदावा	00	00
स्टाम्पवकालतनामा			स्टाम्पवकालतनामा		
स्टाम्पवजहसबूत			स्टाम्पवजहसबूत		
महनतानावकील			महनतानावकील		
खर्चागवाहान			खर्चागवाहान		
फीसकमिशनर			फीसकमिशनर		
बाबतईजराय हुकमनामा			बाबतईजराय हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दोफरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(डॉ० सूरज सिंह नेगी)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी, टोंक